एक नजर में

मंत्री प्रद्युम्न सिंह की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

ग्वालियर . प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बुधवार को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से बार-बार तेज बुखार से परेशान थे. स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है. सीएम मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है.

आमने-सामने भिड़ीं दो बाइकें, चार युवक घायल

अंबाह . शहर के दोहरी रोड स्थित कमल विहार सखवार धर्मशाला के पास बुधवार शाम करीब 6 बजे दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में चार युवक घायल हो गए. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल अंबाह पहुंचाया. घायलों में 13 वर्षीय रोमिल पुत्र सुनील सखवार, निवासी दोहरी, के सिर में गंभीर चोट आई. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल मुरैना रेफर कर दिया गया. वहीं 17 वर्षीय विकास राठौर पुत्र राकेश, निवासी खजूरी रोड अंबाह, के सिर में गंभीर चोट लगने पर उसे भी प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल मुरैना भेजा गया. इसके अलावा 16 वर्षीय अजय पुत्र सतीश राठौर, निवासी कृष्णा कॉलोनी, जग्गा रोड अंबाह, के पैर में चोट आई है. वहीं अमित सखवार, निवासी झासीपुरा, के पैर में भी चोट लगी. दोनों घायलों का सिविल अस्पताल अंबाह में उपचार जारी है.

विजिलेंस टीम ने पकड़ा फर्जी टीटीई

जबलपुर . यात्रियों की सुरक्षा और टिकट जांच व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल द्वारा सतर्कता विभाग, टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ के संयुक्त विशेष अभियान में ट्रेनों में फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से अवैध वसूली करने वाले एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि एक व्यक्ति लंबी दूरी की ट्रेनों में खुद को टीटीई बताकर यात्रियों के टिकट जांचता, उन पर फर्जी सील लगाता और अवैध रूप से पैसे वसूलता है. जांच दल ने सतना से इटारसी रेलखंड तक कई दिनों तक गोपनीय निगरानी की. 21/22 जुलाई की रात करीब 2 बजे ट्रेन संख्या 15018 काशी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-1 में सोहागपुर स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के बाद जांच दल ने एक संदिग्ध व्यक्ति को यात्रियों के टिकट जांचते हुए पकड़ा. पहचान अरुण कुमार यादव (54), निवासी सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम के रूप में हुई. तलाशी में उसके पास से दो फर्जी रेलवे सील, यात्रियों से वसूले गए 3,500 नकद, डब्ल्यूसीआरएमएस यूनियन का कार्ड, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर के नाम का पहचान पत्र, पिस्टल जैसी दिखने वाली प्लास्टिक लाइटर तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया.

कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने

राहुल गांधी और छात्रों के समर्थन में कांग्रेस विधायकों ने बांधी काली पट्टी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जुलाई . दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार और छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया.

विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि अपने भविष्य और अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि विधानसभा के भीतर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा से बचने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीट परीक्षा विवाद, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताएं और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से युवा पहले ही परेशान हैं. ऐसे में छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार सरकार की युवाओं के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि युवा जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समाधान के बजाय दमन का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर विधानसभा और सड़क दोनों स्तरों पर संघर्ष जारी रखने का संकेत दिया.

कांग्रेस अराजकता की राजनीति कर रही है : हेमंत खंडेलवाल

भोपाल, 22 जुलाई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में रेडक्रॉस अस्पताल से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, देश की छवि धूमिल करने और अराजक राजनीति करने के आरोप लगाए.

बारिश के बीच आयोजित इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए. रेडक्रॉस अस्पताल से प्रारंभ हुआ मार्च प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ा, जहां पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के कारण कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी की. प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय प्रायोजित अराजकता की राजनीति कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार अविश्वास फैलाने का प्रयास कर रहे हैं तथा विदेशों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना उनकी राजनीतिक शैली बन चुकी है. उन्होंने कहा कि सत्ता की राजनीति में राहुल गांधी देश के सम्मान और राष्ट्रहित को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकते.

घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

- बदबू आने पर हुआ खुलासा
- पुलिस जांच में जुटी

नव भारत न्यूज

रतलाम। शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत काटजू नगर (नगर सुधार न्यास) में बुधवार दोपहर एक बंद मकान से 35 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

मृतक की करीब ढाई माह पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद युवक घर में अकेला रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुरेश उर्फ लखन पिता दर्शन

कुमार चौहान (35) निवासी काटजू नगर (नगर सुधार न्यास) के रूप में हुई है। बुधवार को आसपास रहने वाले लोगों को उसके मकान से तेज दुर्गंध आने लगी। अनहोनी की आशंका होने पर स्थानीय लोगों ने तत्काल औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को सूचना दी ।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गायत्री सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करने पर सुरेश का शव कमरे में साड़ी से बने फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया।

स्थानीय लोगों के मुताबिक सुरेश कबाड़ का व्यवसाय कर अपना जीवनयापन करता था। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। करीब ढाई माह पहले उसकी शादी नागदा निवासी एक महिला से हुई थी.

भिंड में रेत माफिया पर शिकंजा कसा, 6 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और लोडर जब्त

भिंड। भिंड में रेत माफिया पर शिकंजा कसते हुए 6 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां एवं लोडर जब्त किए गए हैं। खदान पर पुलिस और प्रशासन की दबिश में 345 घनमीटर अवैध रेत पकड़ी गई। भिंड जिले में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। अमायन थाना क्षेत्र के बछरेटा गांव में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध रेत का परिवहन कर रही छह ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और एक लोडर मशीन जब्त की है.

उपचुनाव में दिख रहे चुनाव प्रचार के नायाब तौर तरीके

दतिया, 22 जुलाई . विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का नायाब तौर तरीका चर्चा का विषय बन गया है. नेताओं के भाषणों से ज्यादा उनके अलग-अलग अंदाज वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के भतीजे नितिन तिवारी ग्राम लमायचा में किसान निर्मल यादव के साथ ट्रैक्टर चलाते, धान की रोपाई करते और खेत में हाथ बंटाते नजर आए. इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ग्राम सोनार में किसान कालीचरण पटेल के खेत पर ट्रैक्टर चलाते दिखाई दिए थे. चुनावी गलियारों में इस ट्रैक्टर पॉलिटिक्स' की चर्चा हो रही है. लोग इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मानते हुए अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कई लोगों का कहना है कि

अब नेता किसानों के बीच पहुंचकर अलग-अलग अंदाज में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं.

दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं. वहीं भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी अपने समर्थकों और परिवार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान चला रहे हैं. ऐसे में खेतों में पहुंचकर किसानों के साथ जुड़ने की तस्वीरें चुनावी चर्चा का हिस्सा बन गई हैं.

भाजयुमो के ग्वालियर नगर अध्यक्ष बने शिवम राजावत

ग्वालियर. भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्यप्रदेश ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में जिला अध्यक्षों एवं जिला महामंत्रियों की नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर द्वारा जारी आदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

जारी सूची के अनुसार ग्वालियर नगर में शिवम राजावत को जिला अध्यक्ष तथा गौरव मिश्रा को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है. घोषित सूची में ग्वालियर नगर सहित कुल 15 जिलों के संगठनात्मक पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं. भाजयुमो प्रदेश नेतृत्व ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने और आगामी संगठनात्मक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई है. नई नियुक्तियों के बाद संबंधित जिलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है.

उपचुनाव : युवा मोर्चा ने निकाली वाहन रैली

डॉ. नरोत्तम मिश्रा और सांसद भारत सिंह रहे मौजूद

दतिया, 22 जुलाई. विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुधवार को

भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शहर में एक बड़ी वाहन रैली निकाली गई. यह रैली स्थानीय चुनाव कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस चुनाव कार्यालय पर आकर समाप्त हुई.

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सांसद एवं चुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह, जीतू जिराती, संभाग प्रभारी अभय यादव, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर, जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाह और मानसिंह सहित मोर्चा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

हत्या का खुलासा : पति-पत्नी गिरफ्तार

पूर्व पति के साथ मिलकर की थी युवक की हत्या

पन्ना, 22 जुलाई . जिले के रैपुरा थाना क्षेत्रान्तर्गत बहुचर्चित बघवारकलां हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे पति-पत्नी को गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में आरोपी रामप्रताप सोनी और उसकी पत्नी अर्चना सोनी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है.

पुलिस के अनुसार, अर्चना सोनी ने अपने पूर्व पति रामप्रताप के साथ मिलकर इस जघन्य

हत्याकांड की साजिश रची थी. घटना जुलाई 2025 की है, जब अर्चना अपने दूसरे पति नन्नू सोनी के साथ रह रही थी और बच्चों की बात को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होता था.

> विवाद के चलते 10 जुलाई 2025 की रात दोनों आरोपियों ने मिलकर लकड़ी की मुगरिया से नन्नू सोनी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे.

बारिश की कामना लेकर पटपरा हनुमान मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

श्योपुर. विजयपुर के ग्राम बैंनीपुरा के सकल पंचों के आह्वान पर गांव से कुछ दूरी पर बारधा डैम के नीचे स्थित प्राचीन पटपरा हनुमान मंदिर में सर्वजातीय धार्मिक आयोजन एवं सामूहिक भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्र में अच्छी वर्षा, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर श्रद्धालुओं ने राम नाम का जाप, रामधुन, भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना की। आयोजन में महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया. मंदिर में सामूहिक रूप से भोजन तैयार कर भगवान हनुमान को भोग अर्पित किया, फिर सभी श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। ग्रामीणों के अनुसार, पटपरा हनुमान मंदिर अत्यंत प्राचीन व चमत्कारी स्थल है।

विश्वविद्यालय व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाएं : शुक्ल

भोपाल, 22 जुलाई. विधानसभा में मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए विश्वविद्यालय व्यवस्था को अधिक सक्षम, प्रभावी और भविष्य की

आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 33 हो गए हैं. इसी प्रकार एमबीबीएस सीटें 760 से बढ़कर 5,550 तथा स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें 140 से बढ़कर 2,862 हो चुकी हैं.

फैसला हाईकोर्ट ने चेतावनी के साथ स्वीकार किया माफीनामा

आपराधिक अवमानना में विधायक संजय पाठक दोषी करार

जबलपुर, 22 जुलाई . मप्र हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने आपराधिक अवमानना के मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक को दोषी करार दिया है.

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अवमानना ऐसी प्रकृति की नहीं है जिससे न्याय की प्रक्रिया में काफी रुकावट आई हो. न्यायालय ने पहले ही अनावेदक को बिना शर्त माफीनामा जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी थी. बिना शर्त माफीनामा को स्वीकार करते

हुए युगलपीठ ने चेतावनी देते हैं कहा कि अदालत की अवमानना करने वाले विधायक ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे और भविष्य में सावधान रहेंगे.

गौरतलब है कि कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में 12 सौ करोड़ रुपये की रिकवरी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया. जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अगल कर रहे है. जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.

> याचिका में कहा गया था कि विधायक के यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करना आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है. हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को याचिका का निराकरण करते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी किये थे. आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की तरफ से बिना शर्त माफी मांगने के संबंध में हलफनामा पेष किया गया था.

NORTHERN ARC

नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 10वीं मंजिल, फेज-I, आईआईटी-मद्रास रिसर्च पार्क, कनागम विलेज, तारामणि, चेन्नई - 600113, तमिलनाडु

नियम - 8 (1) - कब्जा नोटिस (अचल संपत्तियों के लिए)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) के तहत नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने एक मांग नोटिस दिनांक 17 अक्टूबर को जारी किया था.

इस नोटिस के माध्यम से उधारकर्ता **(1) मनोज सुपुत्र भीम सिंह मीणा** (उधारकर्ता) और **(2) माया बाई पत्नी मनोज मीणा** (सह-उधारकर्ता), दोनों निवासी : मकान नंबर 41, ग्राम लासुलड़िया, मुख्य मार्ग, तहसील टोंकखुर्द, देवास, मध्य प्रदेश - 455116 से नोटिस में उल्लिखित राशि **रुपये 20,30,072.13/- (रुपये बीस लाख तीस हजार बहत्तर और तेरह पैसे मात्र),** जो कि **22 सितंबर 2025** तक की है, को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के भीतर **23 सितंबर 2025** से लागू होने वाले ब्याज सहित चुकाने के लिए कहा गया था.

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, इसके द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/सह-उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज **21 जुलाई 2026** को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है.

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/सह-उधारकर्ता और आम जनता को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें. संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन **22 सितंबर 2025** तक की राशि **रुपये 20,30,072.13/- (रुपये बीस लाख तीस हजार बहत्तर और तेरह पैसे मात्र)** और उस पर **23 सितंबर 2025** से लगने वाले ब्याज, खर्च आदि के लिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा.

संपत्ति का विवरण

दिनांक 10-05-2022 MP108952022A1482438 जो कि प्लॉट / मकान नंबर 139/41, नया 41, पी.एच. नंबर 05, सरल नंबर 2232, ग्राम पंचायत लासुलड़िया कुल्मी, ग्राम लासुलड़िया कुल्मी, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास, (म.प्र.) पर स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं :- कुल प्लॉट क्षेत्र- 6600 वर्ग फीट (613.38 वर्ग मीटर) आरसीसी निर्माण- 573 वर्ग फीट (53.25 वर्ग मीटर) कच्चा कवेलू निर्माण- 416 वर्ग फीट (38.66 वर्ग मीटर) टीन शेड निर्माण-230 वर्ग फीट (21.37 वर्ग मीटर). पूर्व- सड़क, पश्चिम- भागीरथ पाटीदार, उत्तर- सड़क, दक्षिण- सड़क.

हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी
नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड

स्थान : देवास, मध्यप्रदेश
दिनांक : 21 जुलाई 2026

MAS

मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

छठा ग्राउंड फ्लोर, नारायण चैम्बर्स, पतंग होटल के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, संपर्क : 079-41106500

मांग नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2002 ('अधिनियम') की धारा 13 (2) के तहत, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 ('नियम') के नियम 3 के साथ पठित

मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("MFSL") के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ताओं को नोटिस देते हैं, जो अपनी देनदारी को पूरा करने में विफल रहे हैं, यानी उन्होंने मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से प्राप्त ऋण/ऋणों के मूलधन के साथ-साथ उनके ब्याज और उस पर अर्जित अन्य शुल्कों के पुनर्भुगतान में चूक (डिफॉल्ट) की है. इसके परिणामस्वरूप ऋण गैर-निष्पादित आस्तियां (N.P.A.) बन गए हैं. सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 3 के साथ पठित, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को उनके अंतिम ज्ञात पते पर मांग नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उनसे उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के तहत अपने बकाये को चुकाने का आह्वान किया गया था, हालांकि, वे बिना तामील हुए (बिना डिलीवर हुए) वापस आ गए हैं. ऐसे में, उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ताओं को एतद् द्वारा इस प्रकाशन नोटिस के माध्यम से सूचित/अवगत कराया जाता है कि वे ऋण सुविधा के तहत अपने बकाये को अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज और आकस्मिक खर्चों, लागत, शुल्कों आदि के साथ चुकाएं.

ऋणकर्ता एवं सह-ऋणकर्ता, जमानतदार का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	लोन खाता नं. कुल बकाया राशि	मांग नोटिस की तिथि सूचना चिपकाने की तिथि
मेसर्स एम.पी ट्रैक्टर्स एंड बोरवेल (प्रोपराइटर श्री फुरकान तस्सदुक हुसैन के माध्यम से) (आवेदक), श्री फुरकान तस्सदुक हुसैन (सह-आवेदक एवं जमानतदार), श्री सैय्यद अकबर हुसैन (सह-आवेदक एवं जमानतदार), श्री सैयद जफ़र हुसैन (सह-आवेदक एवं जमानतदार), श्री कुलसुम फुरकान हुसैन (सह-आवेदक एवं जमानतदार)	**बंधककर्ता / निष्पादक का नाम :- श्री फुरकान हुसैन और श्री अकबर हुसैन** **बंधक संपत्ति का विवरण :-** अचल संपत्ति म्युनिसिपल हाउस/प्लॉट नंबर 4/34 तोतला मार्ग तराना जिला उज्जैन मध्य प्रदेश - 456665 का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, पंजीकृत बिक्री विलेख (रजिस्टर्ड सेल डीड) श्री सादिक खान आत्मज (S/O) गुलाब खान निवासी (R/O) खाकरोपूरा तराना द्वारा निष्पादित किया गया, यह विलेख उप-पंजीयक कार्यालय - तराना में दिनांक 05/09/2016 को ई-पंजीकरण संख्या - MP43192016A1515997 पर श्री सैयद जफर हुसैन आत्मज श्री सैयद तसद्दुक हुसैन के पक्ष में पंजीकृत किया गया था, जिसका कुल माप 1030.00 वर्ग फीट यानी 95.25 वर्ग मीटर है और उस पर निर्माण. बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं इस प्रकार हैं :- पूर्व- फारूक भाई और अन्यों की भूमि, पश्चिम- तोतला मार्ग, उत्तर- मनोहरलाल दर्जी का घर, दक्षिण- तेजकरण की भूमि. **बंधक संपत्ति का विवरण :-** अचल संपत्ति व्यपवर्तित भूमि (डाइवर्टेड लैंड) खसरा नंबर - 699/2/2, 699/2/4 पैकी और 699/7/2 तोतला मार्ग सड़क के अंदर मध्य प्रदेश - 456-665 का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, पंजीकृत बिक्री विलेख श्री आमीन नागौरी आत्मज इसहाक नागौरी निवासी महिदपुर जिला उज्जैन व अन्य द्वारा निष्पादित किया गया, यह विलेख उप-पंजीयक कार्यालय - तराना में दिनांक 20/09/2016 को ई-पंजीकरण क्रम संख्या - MP43192016A1540850 पर श्री सैयद जफर हुसैन आत्मज श्री सैयद तसद्दुक हुसैन के पक्ष में पंजीकृत किया गया था, जिसका कुल माप 0.200 हेक्टेयर यानी 2000 वर्ग मीटर है और उस पर निर्माण. बिक्री विलेख के अनुसार/स्थल (मूल्यांकन रिपोर्ट) के अनुसार सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- श्री सैयद आशिक हुसैन की भूमि, पश्चिम- क्रेता (खरीदार) और मनोहर दर्जी की भूमि, उत्तर- शेष भूमि, दक्षिण- श्री बलराम जाजू की भूमि.	**लोन खाता नं. 5753695** **रु. 2,95,55,168.16/-**	**दिनांक 4/7/2026** **दिनांक 8/7/2026**

यह कदम सूचना की प्रतिस्थापित तामीली के लिए उठाया जा रहा है. उपरोक्त उधारकर्ताओ और/या सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज, आकस्मिक खर्चों, लागत आदि के साथ बकाया राशि का भुगतान करें. ऐसा न करने पर (मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना), प्रतिभूतियों/बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा लेने के लिए आगे के कदम वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतन और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार शुरू किए जाएंगे.

ऊपर नामित पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त उल्लिखित संपत्तियों, जिन पर मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का प्रभार है, को अलग न करें, उसकी बिक्री, पट्टे न करें या उस पर कोई तृतीय-पक्ष हित न बनाएं.

दिनांक : 23/07/2026
स्थान : उज्जैन

प्राधिकृत अधिकारी
कृते, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड